

**विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय**  
मांग संख्या 60  
**कम्पनी कार्य विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट, 2001-2002			संशोधित, 2001-2002			बजट, 2002-2003			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	45.25	45.25	...	41.67	41.67	10.00	44.62	54.62	
पंजी	...	1.00	1.00	...	0.95	0.95	...	3.00	3.00	
जोड़	...	46.25	46.25	...	42.62	42.62	10.00	47.62	57.62	
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3451	...	15.17	15.17	...	13.87	13.87	9.00	16.87	25.87
2. संयुक्त स्टाक कम्पनियों के पंजीयक	3475	...	16.34	16.34	...	14.85	14.85	...	15.07	15.07
3. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी परिसमापक व क्षेत्रीय निदेशक	3475	...	8.61	8.61	...	8.16	8.16	...	8.06	8.06
4. अन्य व्यय	3475	...	5.13	5.13	...	4.79	4.79	...	4.62	4.62
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिकिक्म के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान	5475	...	1.00	1.00	...	0.95	0.95	...	3.00	3.00
	जोड़	...	6.13	6.13	...	5.74	5.74	...	7.62	7.62
	2552	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>46.25</b>	<b>46.25</b>	...	<b>42.62</b>	<b>42.62</b>	<b>10.00</b>	<b>47.62</b>	<b>57.62</b>
<b>ग. योजना परिव्यय*</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00

1. **सचिवालय:** इसमें कम्पनी कार्य विभाग के सचिवालय के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है। इसमें कम्पनी कार्य विभाग और इसके फील्ड कार्यालयों के आधुनिकीकरण, कम्प्यूटीकरण और नेटवर्किंग के लिए आयोजना प्रावधान किया गया है।

2. **कम्पनी पंजीयक:** कम्पनी पंजीयकों के कुल 20 कार्यालय हैं जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। इनका मुख्य कार्य कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत अपने सम्बन्धित राज्यों में स्थित सरकारी तथा निजी कम्पनियों की वार्षिक विवरणियों, तुलन-पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप पाई गई अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करना है।

3. (i) **कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी परिसमापक:** कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, सरकारी परिसमापक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए

जाते हैं और उन्हें उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध किया जाता है। वे अनिवार्य परिसमापन के अन्तर्गत आने वाली सभी कम्पनियों के प्रभारी होते हैं।

(ii) **क्षेत्रीय निदेशक:** क्षेत्रीय निदेशकों के मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई तथा कानपुर स्थित चार कार्यालय हैं जो अपने-अपने क्षेत्रों में कम्पनियों के पंजीयकों तथा सरकारी परिसमापकों के कार्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं।

4. **अन्य व्यय:** इसमें एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, अन्वेषण एवं पंजीकरण महानिदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड तथा विभागीय कैंटीनों पर होने वाले व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों, जिसमें सिकिक्म भी शामिल है, के विकास के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है।